"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 20, शक 1934

परिवहन विभाग

केपीटल काम्पलेक्स, महानदी भवन, नया रायपुर

मंत्रालय, रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-20/आठ-परि./2012.— छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक चार के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नगर मार्गों के प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित शहर/नगर के पार्श्वस्थ क्षेत्र के रूप में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित निम्नलिखित स्थानों को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

स. क्र. (1)	शहर/नगर (2)		पार्श्वस्थ स्थान/क्षेत्र (3)
1.	अम्बिकापुर	1.	रेल्वे स्टेशन से दरिमा हवाई पट्टी व्हाया कृषि महाविद्यालय, केन्द्रीय महाविद्यालय, पी. जी. महाविद्यालय, अम्बेडकर चौक, गांधी चौक, बस स्टैण्ड, भारत माता चौक, कंठी सुहागा.
		2.	रेल्वे स्टेशन से लखनपुर, इंजीनियरिंग कॉलेज व्हाया होली-क्रास महाविद्यालय, घड़ी चौक, सत्तीपारा स्कूल, बस स्टैण्ड, जिला अस्पताल, बिलासपुर चौक, लोधिमा मेण्ड्रा-रोड.
		3.	आक्सीजन पार्क से रेल्वे-स्टेशन व्हाया महामाया मंदिर द्वार, महामाया चौक, गांधी चौक, होली-क्रास महाविद्यालय, केन्द्रीय महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय चौक.
		4.	बतौली से शंकर घाट व्हाया रघुनाथपुर, लुचकी, नवागढ़, महामाया मंदिर, हनुमान मंदिर, जिला अस्पताल, बस स्टैण्ड, प्रतापपुर चौक, लरनसाय चौक, संजय पार्क.

(1)	(2)		(3)
		5.	तकिया से रेल्वे स्टेशन व्हाया लरनसाय चौक, महामाया चौक, पुराना बस स्टैण्ड नमना, गंगापुर माता, राजमोहनी देवी भवन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कूजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 5-20/आठ-परि./2012.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 5-20/आठ-परि./2012 दिनांक 04-12-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कूजूर, उप -सचिव.

Raipur, the 4th December 2012

NOTIFICATION

No. F 5-20/VIII-Tr./2012.—In exercise of the power conferred by clause (c) of serial number IV of First Schedule of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, notifies the following places mentioned in column (3) of the table below as the adjacent areas to the City/Town as mentioned in column (2) of the said table for the purpose of City Routes, namely :-

S. No. (1)	City/Town (2)		Adjacent Places/Areas (3)
1.	AMBIKAPUR	1.	Railway Station to Darima Hawai Patti Via Krishi Mahavidyalaya, Central Mahavidyalaya, P. G. Mahavidyalaya, Ambedkar Chowk, Ghandi Chowk, Bus Stand, Bharat Mata Chowk, Kanthi Suhaga.
		2.	Railway Station to Lakhanpur Engineering College Via Holly-Cross Mahavidyalaya, Ghadi Chowk, Sattipara School, Bus Stand, District Hospital, Bilaspur Chowk, Lodhima Mendra- Road.
		3.	Oxygen Park to Railway Station Via Mahamaya Mandir Dwar, Mahamaya Chowk, Gandhi Chowk, Holly-Cross Mahavidyalaya, Central Mahavidyalaya, Krishi Mahavidyalaya, Chowk.
		4.	Batauli to Shankar Ghat Via Raghunathpur, Luchki, Nawagarh, Mahamaya Mandir. Hanunan Mandir, District Hospital, Bus Stand Pratap pur Chowk, Laransay Chowk. Sanjay Park.
		5.	Takiya To Railway-Station Via Laransay Chowk, Mahamaya Chowk. Old Bus Stand Namna, Gangapur Mata, Rajmohini Devi Bhawan.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.